आदेश सं०: ....   पटना, दिनांक:......./07/2019

-:आदेश:-

विज्ञापन सं० 09/2018 के तहत राज्य स्वास्थ्य समिति के आदेश ज्ञापांक 2075 दिनांक 28.06.19 के आलोक में उपलब्ध रिक्तियों के विरूद्ध प्रतीक्षा सूची में उपलब्ध अभ्यर्थियों को राज्य में स्वास्थ्य की बेहतर सुविधा मुहैय्या कराने हेतु जनहित में सदर अस्पतालों में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत विशेषज्ञ चिकित्सक-**Psychiatrist** के संविदागत पदों पर चयनित अधोलिखित अभ्यर्थियों को, उनके द्वारा योगदान करने की तिथि से स्तम्भ-7 में अंकित मानदेय पर नियोजित करते हुए उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-6 में अंकित सदर अस्पताल में पदस्थापन किया जाता है:-

क्र. सं.	रौल नं०	अभ्यर्थी का नाम	जन्म तिथि	पिता का नाम	पदस्थापन अस्पताल	मानदेय/ प्रतिमाह (₹में)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1.	18095004	DR GUNJESH KUMAR, DPM	25 Jun, 1981	GANESH MISHRA	सदर अस्पताल, भागलपुर	1,00,000/-
2.	18095018	DR ABHISHEK SHARAN, MD	03 May, 1987	KRISHAN MURARI SHARAN	सदर अस्पताल, वैशाली	1,00,000/-

2. उपर्युक्त सभी नवचयनित अभ्यर्थियों को निदेश दिया जाता है कि:-

   i. **दिनांक 15/07/2019 तक** उपरोक्त चिकित्सक अपने नाम के सामने स्तंभ-6 में अंकित अस्पताल में अपना योगदान देना सुनिश्चित करें। उक्त तिथि तक योगदान नही देने की स्थिति में अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता समाप्त की जा सकती है।

   ii. योगदान के पश्चात् एकरारनामा करने के लिए 1,000/- रुपये का Non Judicial स्टाम्प पेपर, NOC (यदि लागू हो, तो) एवं स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र (जो सिविल सर्जन/अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी के स्तर से निर्गत हो) के साथ, स्वयं **दिनांक 22/07/2019 तक**, प्रभारी, मानव संसाधन, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना के समक्ष उपस्थित होंगे, ताकि राज्य स्तर पर राज्य स्वास्थ्य समिति के साथ उनका एकरारनामा सम्पन्न हो सके।

   iii. यदि किसी संस्थान में कार्यरत है अथवा सरकारी सेवा में है अथवा अनुबंध पर कार्यरत है, तो उन्हें अनापत्ति प्रमाण-पत्र (NOC) जमा करना अनिवार्य है, अन्यथा उनके नियोजन का दावा रद्द कर दिया जाएगा।

   iv. वैसे अभ्यर्थी, जो MD/DNB/DPM डिग्रीधारी है किन्तु MCI/BCMR में निबंधन नही करा पाए है उन्हें निदेशित किया जाता है कि संबंधित निबंधन नियोजन की तिथि से एक (01) माह के अंदर MD/DNB/DPM उपाधि का MCI/BCMR में निबंधन कराकर निबंधन प्रमाण-पत्र की स्व-अभिप्रमाणित प्रति मानव संसाधन कोषांग को समर्पित करे एवं मूल निबंधन प्रमाण-पत्र दिखावें अन्यथा उनका नियोजन रद्द कर दिया जायेगा।

STATE HEALTH SOCIETY, BIHAR
Pariwar Kalyan Bhawan, Sheikhpura, Patna- 800 014
दूरभाष: 0612-2290328, 2281232 फैक्स: 2290322 Website: www.statehealthsocietybihar.org

स्वस्थ बिहार समृद्ध बिहार

v. यह नियोजन पूर्णतः संविदा के आधार पर 11 (ग्यारह) माह के लिए किया जायगा। नवनियोजित अभ्यर्थियों के संतोषप्रद कार्य के आधार पर अगले 03 (तीन) वर्ष तक या पदों की स्वीकृति, राशि की उपलब्धता होने तक (इनमें से जो भी पहले हो) संविदा अवधि का विस्तार राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के स्तर से किया जा सकेगा।।

vi. चयनित अभ्यर्थियों का नियमिती करण अथवा पुनर्नियोजन हेतु कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।

vii. पदस्थापन जिला में योगदान करने एवं प्रभार ग्रहण करने अथवा एकरारनामा करने के लिए राज्य स्वास्थ्य समिति आने-जाने के लिए कोई यात्रा भत्ता देय नही होगा।

viii. सभी संबंधित नवचयनित अभ्यर्थियों के पूर्ववृत्त एवं शैक्षणिक योग्यता प्रमाण-पत्रों का सत्यापन करवाया जाना आवश्यक है। यह संविदागत नियोजन उक्त सत्यापन/जाँच प्रतिवेदन के फलाफल से प्रभावित होगा।

ix. उक्त विषेशज्ञ चिकित्सकों का नियोजन इस शर्त पर किया जाता है कि यदि उनके पूर्ववृत्त का सत्यापन प्रतिवेदन प्रतिकूल होगा तथा प्रमाणपत्रों एवं अभिलेखों के जाँच के क्रम में गलत सूचना पायी जायगी, तो उनका नियोजन बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दिया जायगा एवं उनके विरूद्ध आवश्यक विधि सम्मत कार्रवाई भी की जाएगी।

x. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अधीन Psychiatrist के संविदागत पद हेतु सभी नवनियोजित अभ्यर्थियों को उपरोक्त तालिका के स्तम्भ-7 में अंकित एकमुस्त मानदेय प्रतिमाह का भुगतान FMR code-8.1.3.2 के तहत संबंधित जिला स्वास्थ्य समिति/स्वास्थ्य संस्थान से किया जाएगा।

3. सभी सिविल सर्जन-सह-सदस्य सचिव/संबंधित स्वास्थ्य संस्थान के अधीक्षक/उपाधीक्षक नवचयनित अभ्यर्थियों के योगदान के तुरंत बाद, अस्पताल में रोस्टर ड्यूटी में नाम शामिल कराते हुए रोस्टर ड्यूटी के अनुरूप उनसे कार्य लेना प्रारंभ करें। उक्त अनुपालन की सूचना अनिवार्य रूप से भेजना सुनिश्चित करेंगे।

ह०/-

(मनोज कुमार)

ज्ञापांक: 2210 पटना, *दिनांक:* 02/07/2019

प्रतिलिपि: प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को कृपया सूचनार्थ।

प्रतिलिपि: अपर कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार को सूचनार्थ।

प्रतिलिपि: संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी-सह-अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति/क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार/सिविल सर्जन-सह-सदस्य सचिव, जिला स्वास्थ्य समिति/अधीक्षक/उपाधीक्षक, सदर अस्पताल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

STATE HEALTH SOCIETY, BIHAR
Pariwar Kalyan Bhawan, Sheikhpura, Patna- 800 014
दूरभाष: 0612-2290328, 2281232 फैक्स: 2290322 Website: www.statehealthsocietybihar.org

स्वस्थ बिहार समृद्ध बिहार

प्रतिलिपि: प्रशासी पदाधिकारी/सभी उप सचिव/अपर निदेशक, वित्त/राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी, NMHP/ राज्य कार्यक्रम प्रबंधक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: सिस्टम एनालिस्ट-सह-डाटा ऑफिसर, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार को सूचनार्थ एवं समिति के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: सभी संबंधित नवचयनित अभ्यर्थियों को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित। यह आदेश राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के अधिकृत वेबसाईट www.statehealthsocietybihar.org पर भी देखा जा सकता है एवं डाउनलोड कर इसे व्यवहार में लाया जा सकता है।

कार्यपालक निदेशक

STATE HEALTH SOCIETY, BIHAR
Pariwar Kalyan Bhawan, Sheikhpura, Patna- 800 014
दूरभाष: 0612-2290328, 2281232 फैक्स: 2290322 Website: www.statehealthsocietybihar.org